//

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/22827/2016 / 3202 भोपाल, दिनांक 07-10-19

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः–वन मंडल सतना के परिक्षेत्र सतना के ग्राम सतरी के वन कक्ष क्र. RF-(Old 690) New - 776 के रकबा 37.00 हे. वनभूमि में चुना–पत्थर खनिज ओपन कास्ट पद्धति से उत्खनन कार्य हेतु आवेदक श्री श्रवण कुमार पाठक, सतना को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्र. 6-MPC036/2019-BHO/921 दिनांक 13 / 09 / 2019

----0----

विषयांकित प्रकरण में आपने संदर्भित पत्र से 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही है। वन मंडल अधिकारी, सतना ने अपने पत्र क्रमांक 9436 दिनांक 01 / 10 / 2019 से 12 बिन्दुओं की जानकारी प्रस्तुत की गई है जिसका बिन्दुवार संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

1. आवेदित वनक्षेत्र स्थल से नेशनल पार्क / वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी / वाइल्ड लाइफ कॉरीडोर रानीपुर अभ्यारण्य की दूरी 65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। प्रमाण पत्र परिशिष्ट–01 पर संलग्न है।
2. लीज डीड की प्रमाणित प्रति संलग्न है। आवेदक संस्थान को प्रस्तावित क्षेत्र में 1980 के पूर्व लाइम स्टोन की उपलब्धता प्रमाणित होने के बाद ही माइनिंग लीज स्वीकृत हुई थी। वर्तमान में प्रकरण में माईनिंग लीज का नवीनीकरण एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का प्रथम अनुमोदन है। माईनिंग लीज के नवीनीकरण में खनिज की उपलब्धता के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि आवेदक संस्थान ने उसमें पूर्व में खनन कार्य किया है। इसके अतिरिक्त आपके सुलभ संदर्भ के लिये भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान की प्रति संलग्न है।
3. अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006) के अन्तर्गत कलेक्टर, सतना का प्रमाण पत्र क्रमांक 1450 दिनांक 5 / 07 / 2018 की मूलप्रति आवश्यक अभिलेखों सहित संलग्न है।
4. 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण स्थल की सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट एवं जियो रिफरेन्स मानचित्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न है। वन मंडल अधिकारी सतना द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण रकबा 38.129 हेक्टयर गैरवनभूमि स्थल वृक्षारोपण के लिये योग्य होने संबंधी जारी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।
5. क्षतिपूर्ति वनीकरण रकबा 38.129 हे. गैरवनभूमि की KML File ई–पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

–2–

01

6. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि प्रस्तावित खदान से जुड़ी हुई 1.20 एकड़ राजस्व भूमि का उपयोग एप्रोच रोड हेतु किया जावेगा। आवेदक संस्था द्वारा जो वन भूमि चाही गई है उसका एक भाग राजस्व क्षेत्र से भी लगा हुआ है।

7. क्षतिपूर्ति वनीकरण गैरवनक्षेत्र की KML File ई–पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

8. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रास्पेक्टिव इफेक्ट प्रभावशाली हुआ लेकिन प्रस्तावित वन भूमि खनिज रियायत के लिये राज्य शासन द्वारा आदेश क्र. 599/7461 दिनांक 13/1/1973 को स्वीकृत किया गया। अर्थात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पूर्व स्वीकृत की गई थी। आदेश की प्रति संलग्न है। अतएवं वन अनुमति प्रथम लीज काल में नियमानुसार आवश्यक नहीं है। वर्तमान प्रकरण नवीनीकरण/अवधिवृद्धि माईनिंग लीज के धारा–8 एम.एम.डी.आर. संशोधन अधिनियम 2015 के अन्तर्गत होना है। वनविभाग का अनुमोदन प्रथमबार प्रस्तावित किया गया है। यह अनुमोदन का नवीनीकरण नहीं है।

9. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि गढ्ढे और खदान का अच्छादित क्षेत्र 1.03 हेक्टयर है ओर खदान रोड़ 0.10 हेक्टयर है। प्रस्तावित क्षेत्र अत्यधिक सतह के ऊपर और आउट क्राफ्ट लाइम स्टोन से अच्छादित है। यह ऊपर का आउट क्राफ्ट पत्थर पूरी लीज एवं प्रस्तावित भूमि में तोड़ा गया है। अर्थात लाइम स्टोन का खनन कर उपरी सतह से एकत्र किया गया है। शासकीय राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में उस समय की रायल्टी दर के हिसाब से 1.5 लाख जमा हुई है।

10. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में आइम स्टोन सीमेन्ट ग्रेड का है। अतएव यह सीमेन्ट प्लांट को आवंटित की जावेगी। सीमेन्ट प्लांट प्रस्तावित खदान से 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। लाइम स्टोन के खरीददार प्रीज्म जानसन लिमिटेड बिड़ला लि., जे.पी. सीमेन्ट लि., अल्ट्राटेंक सीमेन्ट लिमिटेड है। उक्त प्लांट को सीमेन्ट पत्थर की अति आवश्यकता है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के दूसरे जिला से सेकड़ो मील दूर से खरीदते है। अतएव पत्थर की मांग अधिक है। प्रिज्म जानसन ने 1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष और बिडला लि. ने 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष खरीदने की इच्छा जाहिर की है उनके पत्र अवलोकनार्थ संलग्न है।

11. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि सबसे नजदीक चालू खदानें अजय पाठक की हिनौता खदान 1.08 कि.मी. पर तथा प्रिज्म जानसन सीमेन्ट लि. की हिनौता मनकारी खदान 1.4 कि.मी. पूर्व में स्थित है।

12. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में लेख किया है कि जियोलाजिकल मानचित्र प्लेट नम्बर–5 लीज क्षेत्र का भारतीय खान ब्यूरों द्वारा अनुमोदित मानचित्र संलग्न है। लीज के क्षेत्र की स्थित और उसके कोर्डिनेट्स सरफेस प्लान (प्लेट नम्बर–4) में अनुमोदित माईनिंग प्लान के साथ संलग्न है। लीज क्षेत्र की KML File अपलोड कर दी गई है और साथ ही स्थित मानचित्र अनुमोदित माईनिंग प्लान में संलग्न है। लीज क्षेत्र में चुना पत्थर का घनत्व 2.5 (कृपया पेज नम्बर 9 एवं 17 का अनुमोदित माईनिंग प्लान का अवलोकन करें।)।

–3–

उपलब्ध चुना पत्थर का रिर्जव व संसाधन लीज क्षेत्र निम्न प्रकार है:–

	UNFC Code	Quantity in million Tons
A. Total Mineral Reserve		
Probable mineral Reserve	122	4.314394
B. Total Remaining Resources		
Prefeasibility mineral resource	222	0.236250
Total Reserve + Resources		4.550644

कृपया अनुमोदित माईनिंग प्लान के पृष्ठ 14 का अवलोकन करे।

अतः प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धातिक स्वीकृति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

7/10

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/22827/2016 / 3203 भोपाल, दिनांक 07-10-19

प्रतिलिपिः–

1 वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सतना मध्य प्रदेश

2 श्री श्रवण कुमार, पाठक, सिमरिया चौक, चाणक्यपूरी सतना, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

7/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय

वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-dfosatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक /मा0चि0/9436 सतना, दिनांक /1 /10/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन म0प्र0 भोपाल

विषयः–Diversion of 37.00 ha Reserved Forest land for extraction of Satri Lime Stone open cast mining in survey No. RF (Old 690) New- 776 in Village- Satri in favour shri Srawan Kumar Pathak in Satna District of Madhya Pradesh.

संदर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक/921 दिनांक 13.09.2019।

———000———

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में 12 विन्दुओं की आपत्ति उठाई गई है। उक्त 12 विन्दुओं की आपत्ति की पूर्ति कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः 12 विन्दुओं की आपत्ति की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार अवलोकनार्थ सादर प्रेषित हैः–

क्र0	आपत्ति के विन्दु	पालन प्रतिवेदन
1	Certificate for distance from nearest Protected Area (National park/ Wildlife Sanctuary/ Wildlife Corridor).	आवेदित क्षेत्र वनमण्डल सतना के वन परिक्षेत्र सतना के कक्ष क्रमांक पुराना–690 (नया–776) ग्राम सतरी रकवा 37.000 हेक्टेयर से नेशनल पार्क/वाइल्डलाइफ सेन्चुरी/वाइल्डलाइफ कॉरीडोर रानीपुर अभ्यारण्य की दूरी 65 किलोमीटर की दूरी है। विन्दु क्रमांक 1 के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न है। परिशिष्ट 01
2	Certified copy of prospecting approval and lease area from competent Authority.	विन्दु क्रमांक 02 के पालन में आवेदक संस्था को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के पूर्व अर्थात 13.01.1973 से स्वीकृति लीज है। जिसके सम्बन्ध में आवेदक संस्थान द्वारा प्रेषित किया गया पत्र दिनांक 28 सितम्बर 2019 के विन्दु क्रमांक 02 में उल्लेख है। मूलप्रति संलग्न है। परिशिष्ट–02
3	The FRA for non-liner project from conserned District Collector.	आवेदित क्षेत्र वनमण्डल सतना के वन परिक्षेत्र सतना के कक्ष क्रमांक पुराना–690 (नया–776) ग्राम सतरी रकवा 37.000 हेक्टेयर के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा एफआरए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। परिशिष्ट –3।

4	The CA Scheme for 10 year along with certified maps (Soi & Geo reference) and site suitability certificate.	प्रकरण में व्यपवर्तित वनभूमि के बदले उपलब्ध करायी गई समतुल्य गैर वन भूमि ग्राम महेबा एवं खेरियाकोठार के सम्बन्ध में तैयार करायी गई वनीकरण योजना जो 10 वर्षीय है में आपत्ति उठाई गई है। उक्त त्रृटि की पूर्ति कर संलग्न प्रस्तुत है। परिशिष्ट –4
5	The CA is submitted for 38.129 ha. Of non-forest land, however reqired detail. Map & KML shall be uploaded on e.portal.	आवेदित क्षेत्र 37.000 हेक्टेयर के बदले प्राप्त सतुल्य गैर वनभूमि ग्राम महेबा एवं खेरियाकोठार रकवा 38.129 हेक्टैयर की के0एम0एल0 फाइल एवं सर्वेऑफ इंडिया की टोपोशीट एवं मानचित्र संलग्न है। परिशिष्ट 05
6	Leagle access/Approach road to proposed area.	विन्दु क्रमांक 06 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा 1.20 एकड़ राजस्व भूमि एप्रोच रोड का उपयोग करने हेतु लेख किया गया है। अतःएप्रोच रोड हेतु वन भूमि की आवश्यकता नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन संलग्न है। परिशिष्ट–02 के विन्दु क्रमांक 6
7	The KML file and map submitted does not match with each other. Thus correct KML in accordance to map of proposed area shall be uploaded.	आवेदित क्षेत्र रकवा 37.000 की के0एम0एल0 फाइल एवं मानचित्र तैयार किया गया है जो आपस में मिलान होता है। परिशिष्ट 07 संलग्न है।
8	As per forwarding letter of govt. of M.P. dated 23/07/2019. Present case is renewal of FCA, 1980 clearance or regularization of pre 1980 approval may be clarified.	विन्दु क्रमांक 08 के पालन में उक्त लीज वर्ष 1973 में स्वीकृति हुई थी। वन संरक्षण अधिनियम 1980 24.10.1980 से प्रभावशाली हुआ। अतः नियमानुसार प्रथम लीज अवधि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। उक्त लीज वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रथम अनुमोदन हेतु आवेदन किया गया है। जिसके सम्बन्ध आवेदक संस्थान द्वारा लीज का नवीनीकरण होने एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रथम अनुमोदन का आवेदन प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। परिशिष्ट–08

E:\D.M 17-10-2013\Memo 2012, 2013, 2014, 2015\Memo 2019.doc633

9	The broken up area, exact quanity & revenue generated shall be submitted.	विन्दु कमांक 09 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूलतः संलग्न प्रस्तुत है। परिशिष्ट--09
10	Demand of lime stone and distance from the nearest consumption point shall be justified.	विन्दु कमांक 10 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूलतः संलग्न प्रस्तुत है। परिशिष्ट—10
11	Distance of nearest lime stone mine in the area.	विन्दु कमांक 11 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूलतः संलग्न प्रस्तुत है। परिशिष्ट—11
12	The Geological map of area with location of proposed area & mineral density.	विन्दु कमांक 12 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेख मूलतः संलग्न प्रस्तुत है। परिशिष्ट—12

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना

पृष्ठांकन कमांक/मा0चि0/ सतना, दिनांक/ / /2019
प्रतिलिपिः—
श्री श्रवण कुमार पाठक, सेमरिया चौक, चाणक्यपुरी कालोनी, सतना, जिला सतना की ओर सूचनार्थ।

वनसंरक्षक एवं
पदेन वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना